(क) और (ख) सप्लाई की स्थिति के सामान्य रहने पर उपभोक्ताओं को घर पर डिलीवरी मंगवाने अथवा नकद भुगतान करके रिफिल सप्लाई लेने की सुविधा होती है। परन्तु संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और विशेषकर पूर्वी दिल्ली में बैकलॉग की स्थिति उत्पन्न होने पर भंडारण स्थल पर की जाने वाली सप्लाई को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, ताकि सिलेंडरों को दिल्ली से बाहर के बाजारों अथवा अनाधिकृत उपभोक्ताओं को सिलेंडर न दिये जा सकें। बैकलाग अवधि के दौरान यदि कोई उपभोक्ता नकद भुगतान देकर सिलिडर लेना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति केवल तब ही दी जा सकती है जब उसकी बारी हो।

गैस बर्नर, हॉट प्लेट और रबड़ की नली की बिक्री

534. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एल०पी०जी० के वितरक देश भर में गैस बर्नर, हाट प्लेट, और गैस के चूल्हे की रबड़ की नली बाजार भाव से दो गुनी से भी अधिक कीमत पर बेच रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इस मामले की जांच कराने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित जांच का ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) रसोई गैस के वितरक, गैस बर्नर/हॉट प्लेट/रबड़ नली आदि पर ग्राहकों से कितने प्रतिशत लाभ कमाने के पात्र हैं ?

पेट्रोलिम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रफीक आलम): (क) से (घ) एल०पी०जी० के वितरकों को यह स्वतन्त्रता है कि वे अपने शोरूम से बेचे जाने वाले गैस बर्नर/हॉट प्लेट/रबड़ ट्यूब आदि की कीमतें निर्धारित करें। एम० आर० टी०पी० अधिनियम के अनुसार इन मदों की कीमतें अवश्य प्रदर्शित की जानी चाहिये। तेल कम्पनियों द्वारा इन मदों पर लाभ का कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है, ताकि एल पी जी के वितरकों एवं अन्य खुले बाजार में इन मदों की बिक्री मूल्य में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। उक्त कारणों से जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रेशर रेगुलेटरों का बदला जाना

535. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी तेल कम्पनियों में पुराने "एफ" टाइप प्रेशर रेगुलेटरों को समाप्त कर दिया गया है तथा उसके स्थान पर "पिन टाइप" रेगुलेटर प्रदान कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनको बदले जाने के क्या कारण हैं और कम्पनियों को इसके कारण कितना लाभ अथवा हानि हुई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रेशर रेगुलेटरों के बदले जाने के परिणामस्वरूप गैस रिसने के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं की शिकायतों में वृद्धि हुई है ; और

(घ) 1986, 1987 और 1988 में इस प्रकार की वर्ष-वार कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम):

(क) और (ख) विस्फोटक के महानियंत्रक की सिफारिशों के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से एफ टाइप सिस्टम के स्थान पिन-टाइप सिस्टम बिना लाभ हानि आधार पर चरणबद्ध रूप में तेल विपणन कम्पनियों द्वारा लगाया गया है।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं की सुरक्षा की दृष्टि से एल पी जी डीलरों को निर्देश हैं कि वे उपभोक्ताओं की शिकायतों पर विशेषकर रेग्युलेटरों/वाल्वों अथवा रिसाव संबंधी शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई करें। तेल विपणन कम्पनियां ऐसी शिकायतों के लिये कोई सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखती हैं।